JUSTIFICATION FOR MODIFICATION OF LOI

We were issued LOI with Forest Compartment Plan to prepare & submit approved Mining Plan vide letter no. F3 - 23 / 2010 / 12 dated 24th December 2014. Accordingly, we have prepared and submitted the Mining Plan with IBM, Nagpur. IBM has issued us a letter to comply the scrutiny comments observed by them. Which are as follows:-

In the LOI, the compartment wise area has been mentioned as,

Forest Compartment Number	Area in Hectares
252	20
267	20
268	14
269	3

Whereas the area against each Compartment plan attached in the LOI letter; which is as follows:

Forest Compartment Number	Area in Hectares
252	3
267	20
268	20
269	14

Therefore, we are applied for issuing of corrected LOI to the Under Secretary, Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh. Accordingly The Govt, of Chhattisgarh had examined and issued revised LOI.



पंजीकृत डाक् द्वारा

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर-492 002

कमाक एफ 3-23/2010/12

नया रायपुर, दिनांक

कलेक्टर, जिला—नारायणपुर, छत्तीसगढ़।

विषय – जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु – मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड।

्रादर्भ - इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014.

कृपया सदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 द्वारा जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्रमांक 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) होत्र पर मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति का सेद्धातिक निर्णय लेते हुए भारतीय खान ब्यूरों, नागपुर से अनुमोदित मायनिंग प्लान 06 माह के भीतर प्रस्तुत करने तत् लेख किया गया है।

श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 06.02.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि अनक पक्ष में प्रश्नाधीन क्षेत्र पर 30 वर्ष के लिए खनिज आयरन ओर के स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र के लिए विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक में तथा उक्त आदेश के साथ सलग्न नक्शे में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक में भिन्नता है। जिसके कारण आई.बी.एम. हो माइनिंग प्लान के अनुमोदन हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही में किठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। तत्सबंध में आवेदक कंपनी द्वारा विभागीय पत्र दिनांक 24.12.2014 में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक अनुसार संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया साम नक्शे में उल्लेखित प्रश्नाधीन क्षेत्र के रकबा, वन कक्ष क्रमांक अनुसार संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया साम है।

विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 में आवेदित क्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक का विवरण निम्नानुसार

ं क्लिन प्रसार (हेक्टर)				
वन कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हेक्टर)			
1	2			
252	20.00			
267	20.00			
268	14.00			
269	3.00			
	57.00			

अ।वेदक द्वारा प्रस्तुत खनिपट्टा आवेदन दिनांक 08.04.2009 तथा विभागीय पत्र दिनांक 24.12.201♣ के साथ अलग्न नक्शे में वन कक्ष क्रमांक का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है:--

वन कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हेक्टर) 2		
1			
267	20.00		
268	20.00		
269	14.00		
252	3.00		
	57.00		



यहा यह उल्लेखनीय है कि आवेदक कंपनी श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में खनिज आयरन आर का खनिपट्टा प्रश्नाधीन क्षेत्र पर 30 वर्षों हेतु स्वीकृत करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया ग्या है तथा दिनांक 24 12.2014 से 06 माह की अवधि के भीतर आई.बी.एम. से अनुमोदित माइनिंग प्लान जमा करने हेतु निर्देशित किया मया है। आवेदक कंपनी के द्वारा माइनिंग प्लान जमा नहीं कर पाने के कारण इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.07.2015 द्वारा 03 मा**ह (दिनांक 25.06.2015 से 24.09.2015 तक)** एवं पत्र दिनांक 26.09.2015 द्वारा पुनः 06 माह (दिनाक 25.09.2015 से 24.03.2016 तक) की अतिरिक्त समय वृद्धि प्रदान किया गया है।

एम.सी.आर., 1960 के नियम 56 में संशोधन किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :--

Power to rectify apparent mistakes: - Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Covernment or any other authority or officer under these rules and any error arising therein from accidental slip or omission, may, within two years from the date of the order, be corrected by the Government, authority or officer, as been given a reasonable

Provided that no order prejudicial to any person shall be passed unless he has the case may be:

अतएव उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन, एतद्द्वारा, एम.सी.आर., 1960 के नियम 56 के प्रावधांतर्गत opportunity for stating his case. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2014 में उल्लेखित पैरा-2 की तालिका के कॉलम क्रमांक 2, 3 एवं 4

अविद	मनानुसार प्रतिस्थापित करता है त क्षेत्र का विवरण	:- आवेदित क्षेत्र में से खनिपटटा स्वीकित हेतु उपलब्ध रकब (हेक्टर में)
कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हेक्टर में)	4
2	3	20.00
267	20.00	20.00
268	20.00	14.00
269	14.00	3.00
	3.00	57.00
252	57.00	37.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (संजय कनकने) अवर सचिव छत्तीसगढ शासन खनिज साधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक

प्राक्तमाक एफ 3-23/2010/12

प्रतिनिपि -

कट्रोलर जनरल, इंडियन ब्यूरों आफ माईन्स, सेकेण्ड फ्लोर ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन्र

डायरेक्टर आफ माईन्स एण्ड सेफ्टी, सीपत रोड़, एसईसीएल लिमिटेड परिसर, बिलासपुर

सचालक, सचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–डी, द्वितीय तल, न

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमि०, खसरा क्रमांक 2/3, ग्राम गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीय र्शेयप्र (छत्तीसगढ़)

काम्पलेक्स, रायपुर, छत्तीसगढ़। की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

गार्ड फाईल रजिस्टर।

खनिज साधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर—492002

24 DEC 2014

नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 3—23 / 2010 / 12 प्रति

आवेदक मेसर्स श्री बजरंग, पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, खसरा क्रमांक 2/3, ग्राम गोंदवारा, उरला इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय:- जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क. 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु अनुमोदित मायनिंग प्लान तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमित प्रस्तुत करने बाबत।

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड (पूर्व में श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड) के पक्ष में जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क. 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र कमांक 5/96/2010—M.IV, नई हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र कमांक 5/96/2010 की धारा दिल्ली, दिनांक 13.4.2011 द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत पूर्वानुमोदन प्रदाय किया गया है।

2 / आवेदित क्षेत्र जिसके अक्षांश—देशांश एवं वन कक्ष क्रमांक का विवरण निम्नानुसार है:—

जिला,		आवेदित क्षेत्र का विवरण					
वनमण्डल,	वन कक्ष	आवेदित	आवेदित क्षेत्र में से खनिपटटा स्वीकति	आवेदित क्षेत्र के कोआर्डिनेट्स टोपोशीट क. 65 E/7			
वनरेंज तथा कमांक	रकबा खानपटटा स्वाकात (हेक्टर) हेतु उपलब्ध रकबा (हेक्टर)	बिंदु	देशांश	अक्षांश			
			4	5	6	7	
1	2	3	7	A	81° 16' 58.6"	19° 24' 43.9"	
नारायणपूर,	252	20.00	20.00	В	81° 17' 12.5"	19° 24' 51.4"	
0	267	20.00	20.00	B	81° 17' 31.9"	19° 24' 20.4"	
नारायणपुर,	268	14.00	14.00	D	81° 17' 17.6"	19° 24' 12.5'	
छोटेडोंगर	269	3.00	3.00				
		57.00	57.00		1		

3/ आवेदित क्षेत्र राजस्व वन भूमि है। अतः उपर्युक्त उपलब्ध क्षेत्र पर खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने के पूर्व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमित प्राप्त की जानी होगी तथा पूर्विक्षित क्षेत्र का अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना होगा।

4/ आवेदित क्षेत्र संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अत्र प्रकरण को "समथा निर्णय" के परिप्रेक्ष्य में सचिव स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15.10.2014 में तथा मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक दिनांक 25.11.2014 में अनुशंसा/अभिमत हेतु

रखा गया था।

समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि यदि आवेदक द्वारा खनिपट्टा के अनुबंध में निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त / कंडिका जोड़े जाने बाबत् स्वैच्छिक सहमित दी जाती है तो उसके पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृत किए जाने हेतु विचार किया जाए :-

- विनिपट्टाधारी द्वारा अकुशल गैर तकनीकी प्रकृति के कार्य हेतुं स्वीकृत खिनपट्टा क्षेत्र के भीतर प्रभावित आदिवासी निवासियों अथवा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले निवासियों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, यदि खान में उपलब्ध रोजगार अधिक है तो खान क्षेत्र के आस—पास के ग्रामों की बढ़ती दूरी के कम में प्रभावित निवासियों को रोजगार उपलब्धतानुसार प्रदाय किया जाएगा।
- 2 खनिपट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आवेदित वन क्षेत्र में उत्पादित होने वाले वनोपज का कलेक्टर द्वारा निर्धारित अनुमानित मूल्य के आधार पर प्रोरेटा प्रति परिवार वार्षिक आय की राशि जिला कलेक्टर के पास जमा की जायेगी। तत्पश्चात यह राशि प्रभावित परिवार के मुखिया (कर्ता) के नाम पर ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- खनिपट्टा की स्वीकृति से सीधे तौर पर प्रभावित ग्राम / ग्राम पंचायत तथा पट्टा क्षेत्र में मायिनंग से प्राप्त खनिज की रायल्टी के 20 प्रतिशत के बराबर राशि का व्यय सामुदायिक विकास के कार्यो यथा पर्यावरण सुधार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि—आदि पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन पर किया जायेगा। उक्त राशि कंपनी के व्दारा कंपनी अधिनियम में प्रावधानित CSR में व्यय की जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।
- 4 खनिपट्टाधारी पर्यावरण संरक्षण हेतु मायनिंग लीज के क्षेत्र में किए जाने वाले वृक्षारोपण में किस प्रजाति के वृक्ष रोपित किए जाए, इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत / ग्राम सभा से राय प्राप्त की जाएगी।
- 5 खनिपट्टाधारी द्वारा मायनिंग लीज क्षेत्र से खनन किए जाने वाले खनिज आयरन ओर का उपयोग आवेदक कंपनी के लौह अयस्क आधारित संयंत्र में कैप्टिव यूज में किये जाने बाबत् निम्नानुसार कंडिका खनिपट्टा अनुबंध में जोड़ी जाएगी:—
 - "The entire ore produced in the mining operation shall be used exclusively for own consumption in iron or steel making and cannot be either sold in India or exported to other countries."
- 5/ मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड (पूर्व में श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड) के पक्ष में जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर के पैरा—2 की तालिका में उल्लेखित क्षेत्र पर स्वीकृत किए जाने वाले मायनिंग लीज के अनुबंध में पैरा—4 अनुसार अतिरिक्त शर्ते / कंडिकाएं जोड़े जाने हेतु सहमति देने के लिए आवेदक कंपनी को विभागीय पत्र दिनांक 10.12.2014 द्वारा लेख किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवेदक कंपनी मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 11.12.2014 द्वारा अपनी स्वैच्छिक सहमति उपलब्ध कराई है।
- 6/ आवेदित क्षेत्र हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन विभाग से आवश्यक अनुमित प्राप्त करने में असफल रहने के फलस्वरूप यदि कंपनी द्वारा तैयार कराया गया मायनिंग प्लान निष्फल हो जाता है तो इसका कोई उत्तरदायित्व राज्य शासन पर नहीं होगा एवं इस संबंध में कंपनी द्वारा राज्य शासन के विरूद्ध कोई दावा (Claim) मान्य नहीं किया जाएगा।
- 7/ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमित प्राप्त करने तथा मायिनंग प्लान तैयार कराये जाने के लिए जारी की जा रही इस अनुमित से आपको उपर्युक्त आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।





8/ यदि आवेदक कंपनी को उपर्युक्त शर्ते मान्य हो तो पैरा—2 की तालिका में दर्शित क्षेत्र के लिए इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 06 माह की अवधि के भीतर इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स से माइनिंग प्लान अनुमोदित कराकर इस विभाग को प्रस्तुत करें एवं साथ ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति एवं खनन कार्य के लिए नियमानुसार पर्यावरण अनुमित प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

संलग्न :-मानचित्र

(केंंग्डीं) कुंजाम) संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग नया रायपुर, दिनांक

पृ0क्रमांक एफ 3—23 / 2010 / 12 प्रतिलिपिः—

- सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 2. कन्ट्रोलर जनरल, भारतीय खान ब्यूरो, सेकेण्ड फ्लोर, ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर, (महाराष्ट्र)।
- क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, सेकेण्ड फ्लोर, ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर, (महाराष्ट्र)।
- 4. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, व्यवसायिक परिसर, कबीर नगर, छ.ग. हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, रायपुर, (छ.ग.)।
- 5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,(छ.ग.)।
- कलेक्टर, जिला-नारायणपुर, (छ.ग.)।
- नोडल आफिसर, मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर ,(छ.ग.)।
- वन मंडलाधिकारी, वन मंडल नारायणपुर, जिला नारायणपुर, (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9. गार्ड फाईल रजिस्टर

सही |-संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग



